



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042025-262224  
CG-DL-E-02042025-262224

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 266]  
No. 266]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2025/चैत्र 7, 1947  
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2025/CHAITRA 7, 1947

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2025

फा. सं. क्यूए-11023/25/2023-क्यूए-एफएसएसएआई-भाग(1).—खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के नियम 2.1.3 के उप-नियम (1) के खंड (ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्र सरकार के अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए एतद्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को मान्यता देता है, और इस प्रयोजन के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 दिनांक 21 सितंबर 2023 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या फा.सं. पी. 15014/8/2023-एफआर दिनांक 21 सितंबर 2023 में संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में पैराग्राफ 2 के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"3 खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए मान्य अन्य विषयों में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे, अर्थात्:-

बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी या बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी या बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ सोवा रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी।"

जी. कमला वर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./1123/2024-25]

नोट: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में फा. संख्या पी. 15014/8/2023-एफआर, दिनांक 21 सितंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

## FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2025

**F. No. QA-11023/25/2023-QA-FSSAI-Part(1).**—In pursuance of the powers conferred under clause (ii) of sub-rule (1) of rule 2.1.3 of the Food Safety and Standards Rules, 2011, the Food Safety and Standards Authority of India with the approval of the Central Government hereby makes the following courses recognized for the post of Food Safety Officer under the provisions of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) and the rules made thereunder, and for that purpose amends the notification number F.No. P. 15014/8/2023-FR dated the 21st September 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 21st September 2023, namely:-

In the said Notification, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely: -

“3 The other disciplines recognised for the post of Food Safety Officer, shall include the following, namely: -

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery or Bachelor of Dental Surgery or Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery or Bachelor of Unani Medicine and Surgery or Bachelor of Siddha Medicine and Surgery or Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery or Bachelor of Sowa Rigpa Medicine and Surgery.”

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer  
[ADVT.-III/4/Exty./1123/2024-25]

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide *F. No. P. 15014/8/2023-FR, dated the 21<sup>st</sup> September, 2023.*